रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2005/अग्रहायण 7, 1927
No. 486] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2005/AGRAHAYANA 7, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 695(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय, (विधायी विभाग) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध अधीक्षक (विधि), गोपनीय अधीक्षक और रोकड़ अधिकारी के समूह 'ख' राजपत्रित पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधायी विभाग में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2005 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अधीक्षक (विधि)	4* (2005) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	7500-250-12000रू.	चयन	हां	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री या समतुल्य ; (ii) किसी राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी के रूप में चार वर्ष का अनुभव हो ; या किसी राज्य के विधि विभाग में चार वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा सेवक हो जिसे विधि कार्य में चार वर्ष का अनुभव हो ; या अर्हित विधि व्यवसायी हो । टिप्पण (क) - उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने किसी राज्य न्यायिक सेवा में या किसी राज्य में विधि विभाग में कोई पद धारण किया है या केन्द्रीय सरकार का ऐसा सेवक रहा है जो विधि कार्य का अनुभव रखता हो, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने पूर्वोक्त पदों में से कोई अन्य पद धारण किया है या ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान वह विधि व्यवसायी रहा है । टिप्पण (ख) - उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति अर्हित विधि व्यवसायी रहा है, वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान उसने राज्य न्यायिक सेवा में कोई या किसी राज्य के विधि विभाग में कोई पद धारण किया है या केन्द्रीय सरकार का सेवक जिसके पास विधि कार्य का अनुभव है । टिप्पण (ग) - इसखंड के संबंध में " अर्हित विधि व्यवसायी" पद से कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर अभिप्रेत है जिसने उस रूप में चार वर्ष विधि व्यवसाय किया है । टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2 :- अनुभव संबधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी
11	12
(i) 75% प्रोन्नति द्वारा (ii) 25% सीधी भर्ती द्वारा । 7500-12000रु. के वेतनमान में इस पद के उन्नयन के पूर्व 2375-3500 रु. के वेतनमान में अधीक्षक (विधि) के पद के नियमित धारक की उपयुक्तता का उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए आरंभ में विभाग द्वारा निर्धारण किया जाएगा । यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उसे आरंभिक गठन पर पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा । यदि उन्नत वेतनमान की नियुक्ति के लिए 'उपयुक्त नहीं' निर्धारित किया जाता है तो वह 7450-11500रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और उसके मामले का हर वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।	प्रोन्नति : विधायी विभाग में सहायक (विधि) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो कम हो से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उसके बाद वाला ज्येष्ठतम संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन) या अवर सचिव (प्रशासन), विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
2. गोपनीय अधीक्षक	01* (2005) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनुसचिवीय	7500-250-12000रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा 7500-12000रु. के वेतनमान में इस पद के उन्नयन के पूर्व 2375-3500 रु. के वेतनमान में अधीक्षक (विधि) के पद के नियमित धारक की उपयुक्तता का उन्नत पद पर नियुक्ति के लिए आरंभ में विभाग द्वारा निर्धारण किया जाएगा । यदि उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो उसे आरंभिक गठन पर पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा । यदि उन्नत वेतनमान की नियुक्ति के लिए ' उपयुक्त नहीं' निर्धारित किया जाता है तो वह 7450-11500रु. के पुनरीक्षित वेतनमान में बना रहेगा और उसके मामले का हर वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7450-11500रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500-9000रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर सात वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य । (2) विधिक निर्देशों, विधायी प्रारूपण और विधिक विषयों में अनुसंधान का चार वर्ष का अनुभव । (3) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
3. रोकड़ अधिकारी	01* (2005) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500रू.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500-9000रु. वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है ; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखा विभागों में से किसी विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा का समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है । (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है या समतुल्य और जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए.12018/3/2003-प्रशा. I (वि)]

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2005

G.S.R. 695(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice (Legislative Department) Group 'B' posts Recruitment Rules, 1988 in so far as this relates to the Group B Gazetted posts of Superintendent (Legal), Confidential Superintendent and Cash Officer, except as respects things done or omitted to be done before such superssession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted posts in the Legislative Department, namely:-

1.Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department (Group 'B' Gazetted posts) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.- The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

3419GI/05-2

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.Superintendent (Legal)	04* **(2005) Subject to variation dependent on workload*	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs.7500-250-12000	Selection	Yes	Not exceeding 35 years Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdeep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8.	9.	10.	11.	12	13	14
Essential: (i) Bachelor's degree in Law from a recognized university or equivalent; (ii) Should have four years'-experience as an Officer of the State Judicial Service. Or Should have four years' experience in the Legal Department of a State. Or should be a Central Government Servant who has four years' experience in legal affairs.,	Not Applicable	One year for direct recruits.	75% Promotion 25% Direct Recruitment The suitability of the regular holder of the post of Superintendent (Legal) in the scale of Rs.2375-3500 prior to upgradation of this post in the pay scale of Rs.7500-12000 will be initially assessed by the Department for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not Suitable" for appointment to the upgraded scale of pay, he shall continue to be in the revised scale of pay of Rs.7450-11500 and his case would be reviewed every year.	**Promotion:** Assistant (Legal) in the Legislative Department with three years' regular service in the Grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Senior-Most Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Chairman 2. Next Senior – most Joint Secretary and Legislative Counsel, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

or Should be a qualified legal ~~practitioner.~~ Note (a): In computing the period which a person has held any office in the State Judicial Service or in the Legal Department of a State or has been a Central Government servant having experience in legal affairs. There shall be included any period during which he has held any of the other aforesaid offices or any period during which he had been a legal practitioner. Note (b): In computing the period during which a person has been a qualified legal practitioner, there shall be included any period during which he has held any office in the State Judicial Service or in th eLegal Department of a State or has				service.	3. Deputy Secretary (Administration) or Under Secretary ~~(Administration)~~, Legislative Department, Ministry of Law and Justice - Member	

been a Central Government having experience in legal affairs. Note (c): The term "Qualified Legal Practitioner" in relation to this clause means an advocate or a pleader who has practiced as such for four years. Note 1: qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection on the Union Public Service Commission						

is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. Confidential Superintendent	01* **(2005) Subject to variation dependent on workload*	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs.7500-250-12000	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

8.	9.	10.	11.	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation: The suitability of the regular holder of the post of Confidential Superintendent in the scale of Rs.2375-3500 prior to upgradation of this post in the pay scale of Rs.7500-12000 will be initially assessed by the Department for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not Suitable' to the upgraded scale of pay, he shall continue to be in the revised scale of Rs.7450-11500 and his case would be reviewed every year.	Deputation: Officers Under the Central Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; OR (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.7450-11500 OR Equivalent in the parent cadre or Department; OR (iii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.6500-10500 or equivalent in the parent	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

				cadre or Department; OR (iv) With seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs.5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree in Law from a recognized University or equivalent; (ii) Four years' experience of legal references, legislative drafting and research in legal matters. (iii) Possessing a speed of 100 words per minute in English Stenography. (Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not		

exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3. Cash Officer	01* *(2005) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs.6500-200-10500	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

8.	9.	10.	11.	12	13	14
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By deputation	**Deputation:** Officers under the Central Government: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs.5500-9000 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and (b) possessing any one of the following qualifications: (i) A pass in the subordinate accounts service or equivalent examination conducted	Not Applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

				by any of the organized Accounts Departments of the Central Government. (ii) Successfully completion of the training in the cash and accounts work in the Institute Of Secretariat Training & Management or equivalent and three years' experience in cash, accounts and budget work. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. A. 12018/3/2003-Admn. I(L.D.)]

V. RAVINDRAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.